Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्य प्रदेश में कमजोर वर्ग की महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. गायत्री मिश्रा* शहाना परवीन**

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय टीआरएस महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शासकीय टीआरएस महाविद्यालय, रीवा, एपीएस विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज के ऐसी महिला सदस्य जो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से वंचित है और जिन्हें विशेष सहायता और संरक्षण की आवश्यकता होती है कमजोर वर्ग की महिलाओं में वे महिलाएं शामिल है।

जो आर्थिक रूप से गरीब है शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित है या उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है इन महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार और सुरक्षा तक पहुंच की कमी घरेलू हिंसा और सामाजिक भेदभाव। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है बेटियों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन तक कई तरह की स्कीम महिलाओं के कल्याण के लिए लागू की गई है इन्हीं में से एक खास योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।

इस योजना के अंतर्गत समाज के गरीब पहले से भी लोग अपनी बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से कर पा रहे हैं लड़की की शादी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 51000 की राशि थी अब हाल में 55000 तक की मदद की जाती है इनमें नगद राशि घर की जरूर का सामान और सामूहिक विवाह समारोह में होने वाला खर्च भी शामिल है।

शब्द कुंजी – महिलाएं ,योजनाएं,मध्यप्रदेश ,कमजोर वर्ग, बेटियां,विवाह कन्या, मुख्यमंत्री।

प्रस्तावना – भारतीय समाज मे महिला आज भी कमजोर वर्गों मे शामिल है।महिला परिवार की आधारशिला है।और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सदप्रयासो के सम्भव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती है।वह समाज कभी प्रगति नही कर सकता।

महिलाओ के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी नियोग्यताओ शौप दी गई है।जिसके कारण उन्हे जीवन मे आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नही मिलता। ये निर्योग्यताये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पर समस्याये बनकर उभरी है।शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नही सकता यदि पुरुषों मे से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियो को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वयंमेंव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी विवाह मूलक परिवार मे स्त्री की भिन्न-भिन्न परिस्थितिया होती है उदहारण के लिए बेटी, पत्नी, बहू, माँ इत्यादि इन परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमि का निर्वाह के समय उनसे संपूर्ण एवं भेदभाव की भावना की अपेक्षा की जाती है वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व नही होता है इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों मे उतार चढाव पाया गया है समाज मे जैसे जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गए वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति मे भी परिवर्तन होते गए भारत के मध्य प्रदेश मे कमजोर वर्ग की महिलाएँ '(Vulnerable Women)' उन महिलाओं को कहा जाता है।जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से असुरक्षित है।इन महिलाओं को अवसर भेदभाव, हिंसा और बुनियादी सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ता है।

कमजोर वर्ग की महिलाओं के कुछ उदहारण –

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ।
2. गरीब और बेसहारा महिलाएं।
3. घरेलु हिंसा का शिकार महिलाएं।
4. विधवाएं और परिव्यक्त महिलाएं।
5. अन्य कमजोर समूह।

इन महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए, सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे है।इन प्रयासो का उद्देश्य महिलाओ को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करना, हिंसा और भेदभाव से बचाना और उन्हे समाज मे समान भागीदार बनाना है।मध्य प्रदेश मे कमजोर वर्ग की महिलाओ के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है।जिनका उद्देश्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति मे सुधार करना है।इन योजनाओ मे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाध्निकाह योजना में गत 2 वर्षों में 75 हजार से अधिक बेटियों के विवाह के लिए 414 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गयी। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण डॉ. आर. आर भोंसले से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए अप्रैल 2006 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। अभी हाल में ही इस योजना में एक

विवाहध्निकाह के लिए 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें 49 हजार रुपए का अकाउंट पर ही चौक बधु (कन्या) के नाम से तथा 6 हजार रुपए आयोजन कराने वाले निकाय को दिया जाता है।

डॉ. भोंसले ने बताया है कि वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/योजना में 62 हजार 84 विवाह कराये गये है। इसमें 341 करोड़ 46 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गयी। 1 अप्रैल 2024 से अभी तक 12 हजार 979 कन्याओं के विवाह निकाह के लिये 73 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी।

मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं में माननीय शिवराज सिंह चौहान द्धारा कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई अप्रैल 2006 इसमें कमजोर वर्ग की निराश्रित परिवार की कन्या/विधवा/परिवक्तता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई , जो योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्धारा कन्या विवाह योजना के नाम से संपूर्ण प्रदेश में संचालित है

अभी तक इस योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा - निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किए गए सभी संसाधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नवीन दिशा - निर्देश जारी किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं निकाह योजना क्या है !- मध्य प्रदेश सरकार द्धारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत साल 2006 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्धारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है ताकि उनके माता-पिता पर वित्तीय बोझ ना पड़े और अपनी बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से वो कर सके।

शोध का उद्देश्य - हम किसी भी शोध को करते हैं तो इसका कुछ मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतर लोगों के लिए ही शोध किया जाता है क्योंकि इसमें शोधार्थी का कुछ नया योगदान तथा नया अवसर होता है जो आगे आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके तथा इस उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं इस शोध का उद्देश्य है कि -

1. गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करना।
2. बेटियों की शादी का आयोजन सम्मानजनक तरीके से करना।
3. सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाना और दहेज प्रथा को खत्म करना।
4. कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देकर उन्हें सशक्त बनाना।
5. सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर शादी में होने वाले खर्चो को कम करना।
6. मध्य प्रदेश में रहने वाली लड़की को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
7. इस योजना के लिए सरकार द्धारा तय की गई तारीखो में ही शादी करनी होगी।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फायदा-

1. वे लड़कियां जो मध्यप्रदेश की निवासी नहीं है।
2. वह लड़कियां जिनकी उम्र 18 से कम है।
3. जिन लड़कियों ने सरकार द्धारा तय तारीख पर सामूहिक विवाह के बजाय अलग से शादी की है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज -

1. आधार कार्ड (लड़के- लड़की और माता-पिता का)
2. लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
3. समग्र आईडी नंबर (वर और वधु दोनों का)
4. जाति प्रमाण पत्र, अगर लागू हो तो
5. लड़की के नाम से सिंगल बैंक खाते की जानकारी।
6. दूल्हा -दुल्हन की पासपोर्ट साइज 2 - 2 फोटो।
7. लड़के और लड़की का मोबाइल नंबर।
8. अगर लड़की विधवा है तो पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
9. अगर तलाकशुदा है तो तलाक का कागज।
10. रजिस्टर्ड श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की कॉपी ।

जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन समिति - सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन निश्चित किए जाने हेतु जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरी - समितियां का गठन जिला कलेक्टर द्धारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा ।उक्त समितियां में प्रभारी मंत्री द्धारा प्रत्येक समिति हेतु क्षेत्रीय विधायकों एवं 5 स्थानीय प्रतिनिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों के अलावा निम्नानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे।

1. जिला स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक ,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा),जिला श्रम अधिकारी संयुक्तध्उप संचालक ,सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
2. नगर निगम क्षेत्र की समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल बाल विकास - विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), जिला श्रम अधिकारी, संयुक्त उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तारअधिकारी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था- वो इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं अधिकृत रहेगी।

1. नगरी क्षेत्र - नगरी निकाय (नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद)

2 . ग्रामीण क्षेत्र - जनपद पंचायत

अन्य किसी संस्था द्धारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह इस योजनांतर्गत लाख पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

कन्या विवाह योजना एवं निकाह योजना की तिथियो का निर्धारण सामूहिक विवाह की तिथियां एवं संस्था का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री द्धारा किया जाएगा। इन तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेंगे। इन तिथियां का व्यापक प्रचार- प्रसार करना सुनिश्चित किया जाये। इससे इच्छुक जोड़ो द्धारा समय पर आवेदन किया जा सके सतना जिले के संयुक्त/ उप- संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्धारा उक्त तिथियो को विवाह पोर्टल पर परस्पर किया

जायेगा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु हितग्राहियो द्वारा आवेदन की प्रक्रिया –

1. सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली लड़का एवं लड़की को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रयत्न मैं आवेदन संबंधित निकाय (नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद या जनपद पंचायत) को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की निर्धारित दिनांक से 15 दिन पहले करना होगा आवेदन पत्र नि: शुल्क जनपद पंचायत नगरी निकाय में उपलब्ध होंगे आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. यह आवेदन उस निकाय में करना होगा जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदक सम्मिलित होना चाहते हैं।
3. लड़की द्वारा निम्नानुसार स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन पत्र के भाग –2 में देना होगा।

3.1. कन्या हेतु कि कन्या का इससे पहले कई विवाह नहीं हुआ।

3.2. विधवा हेतु कि उनका पूर्व में विवाह हुआ किंतु उनके पति की मृत्यु हो गई हो।

3.3. परिवक्तता हेतु कि उनके पूर्व में विवाह हुआ किंतु उनके पति से कानूनी तलाक हो चुका हो।

4. कड़िका 3– की तर्ज पर लड़का द्वारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (आवेदन पत्र)।
5. आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
6. संबंधित निकाय द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिवस में ही आवेदक को पार्वती(प्रारूप देना अनिवार्य होगा)
7. सभी प्राप्त आवेदनो को विवाह पोर्टल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी।

सतना जिले के मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन के लाभार्थियों की सूची कुछ इस प्रकार हैं :

	वधू	वर
1.	अमिता साकेत	राज कमल
2.	अंजलि दाहिया	सचिन दाहिया
3.	अंजु साकेत	राजेश साकेत
4.	दीपा सेन	बृजेश कुमार सेन
5.	दुर्गा वर्मा	शुभम वर्मा
6.	काजल साहू	धर्मेन्द्र कुमार साहू
7.	महक सोनी	सचिन पटेल
8.	मोनू साकेत	आशीष वर्मा
9.	पूजा कोल	विशाल कोल
10.	सपना कोल	सचिन कोल

1. प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री ने बताया है कि 'मध्यप्रदेश के आज सतना नगर निगम द्वारा प्रदेश सरकार की योजना के तहत 189 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया मैं धन्यवाद देना चाहती हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ .मोहन यादव का जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उन बेटियों को अपना परिवार बसाने का मौका दिया जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है ऐसे परिवार जो बेटियों को बोझ मानते हैं उनके लिए भी यह योजना लाभकारी साबित हुई है।
2. महापौर योगेश ताम्रकार ने बताया 'सतना नगर निगम हमारे पास मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना के अंतर्गत 242 आवेदन आए थे जिनकी स्कूटनी करने के बाद 196 आवेदन सही पाए गए बीटीआई ग्राउंड में पहुंचे पूरे कार्यक्रम व भोजन पानी की व्यवस्था सतना नगर निगम द्वारा की गई थी इस आयोजन में एससी. एसटी पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों के जोड़े भी शामिल हुए जिनका विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया।

पात्र आवेदन		अपात्र आवेदन
242	–	46 लोगो का हुआ नहीं
196	–	7 सम्मिलित नहीं हुए
189	–	जोड़ों का कन्या विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ

इससे यह ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सतना में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया यह आयोजन सतना जिले के नगर निगम की तरफ से 189 जोड़ो का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया।

समस्या – मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मुख्य समस्याएं आवेदन प्रक्रिया में जटिलता आवश्यक दस्तावेजों की कमी और योजना के लाभों का सही समय पर न मिलाना है कुछ लोगों को आवेदन करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता कई बार लोगों के पास इस योजना के जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं जिससे उनका आवेदन खारिज हो जाता है कई लोग योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं जिससे वे योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना के लाभो का सही तरीके से वितरण नहीं हो पता है कुछ गरीब परिवारों के पास योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं जिससे वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं तथा इन्हीं सारी समस्याओं का सामना इन्हें देखने को मिलता है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत शोध में मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रभावशाली योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करती है यह योजना न केवल समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समानता का संदेश देती है बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देकर उनके जीवन में अच्छी जिंदगी जीने का बदलाव लाने का प्रयास करती हैं जो समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक है इस योजना का लाभ उठाकर कमजोर वर्ग की महिलाएं अपनी बेटियों का सुरक्षित कर सकती हैं और आने वाली परेशानियों का सामना कर सकती हैं।

सुझाव – प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त परिणाम के आधार पर किया गया है इस योजना का लाभ गरीब,जरूरतमंद, और निराश्रित परिवारों की बेटियों को मिले विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाए इस योजना के तहत कन्याओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं और कन्याओं को गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी दिए जाएं तथा कन्याओं को आभूषण और बर्तन भी दिए जाएं दहेज जैसी प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के साथ–साथ उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए तथा उनके विवाह में होने वाली परेशानिया न हो और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.scstyojana.com

2. Bhaskar.Com
3. tvbharat.com
4. https://Cmhelpline.mp.gov.in
5. http://www.social.justice.com
6. http://www.socialsecurity.mp.gov.in
7. http://www.Indiatimes.com
8. https://vahan.parivahan.gov.in
9. डॉ. पटेल आर.आर भोसले आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यागंजन कल्याण अधिकारी इंदौर
10. बागरी प्रतिमा राज्य मंत्री सतना मध्यप्रदेश
11. महापौर ताम्रकार योगेश नगर निगम सतना मध्यप्रदेश
12. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव मोहन जी मध्यप्रदेश
13. श्री पटेल प्रेम सिंह मंत्री सामाजिक न्याय एवं की नि: शक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश

****